समस्त पत्र-व्यवहार रजिस्टर, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या 25735-805

प्रेषक
कुल सचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ 226 007

सेवा में,

दिनांक 14/10/09

अधिष्ठाता,
समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

महोदय/महोदया,

कुलपति महोदय के निर्देश पर कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों द्वारा शोध से सम्बन्धित जो पत्र कुलसचिव कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं, उन पर सम्बन्धित शोध पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता की स्पष्ट संस्तुति उल्लिखित नहीं होती है । पत्रों पर प्रायः अग्रसारित शब्द का प्रयोग किया गया होता है । इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि प्रेषित/प्रदर्शित प्रकरण पर संस्तुति स्पष्ट रूप से अंकित की जाय(यदि सम्बन्धित शिक्षक/अधिकारी का मत प्रस्तुत /प्रेषित प्रकरण से भिन्न है तो स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय) जैसा कि पीएच0डी0 आर्डिनेन्स के पैरा सात में उल्लिखित है । साथ-साथ कोई भी पत्र शोध छात्र/पर्यवेक्षक द्वारा सीधे कुलसचिव को न भेजकर सम्बन्धित चैनल के माध्यम से ही कुलसचिव कार्यालय से सम्बन्धित रिकार्ड सेक्सन में रिसीव कराया जाय और प्रत्येक प्रेषित/भेजे गये पत्र की कार्यालय प्रतिलिपि (आफिस कापी) संलग्नकों सहित विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता कार्यालय में सुरक्षित (रिकार्ड) की जाय ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके ।

भवदीय

(जी0 पी0 त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या..25806.......................... दिनांक...14/10/09.......

प्रतिलिपि-प्रभारी, वेबसाइट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डालने का कष्ट करें ।

(जी0 पी0 त्रिपाठी)
कुलसचिव